



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2023 / 343

दर्ज तिथि:-06.10.2023

1. भागीरथराम पुत्र मानाराम
2. भगवानाराम पुत्र मानाराम
जाति विश्नोई निवासी अणदाणियों की बेरी, राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा।

.....वादीगण

बनाम

1. धनाराम पुत्र कानाराम
जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा।
2. सदराम पुत्र चन्दाराम
3. राजूराम पुत्र चन्दाराम
जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा।
4. तहसीलदार नोखड़ा-बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री रामजीवन विश्नोई

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

सत्यमेव जयते

वाद अन्तर्गत धारा-183, 188

राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-09.09.2024

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या



427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को पांच वर्ष खेती करने हेतु बताया गया। पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी को वापस देने हेतु कहा। परंतु प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से मना कर दिया। वर्तमान में प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त आराजी पर बिना वादीगण की सहमति व अनुमति कब्जे-काश्त कर रहे हैं तथा निर्माण करना आरम्भ कर दिया है। वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादीगण कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण को द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्तागण हाजिर न्यायालय हुए। प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने के अनेक अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण तनकीयात कायम करना आवश्यक नहीं होने के कारण पत्रावली पर वादीगण साक्ष्य में रखी गई। वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गए:-

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक / सम्वत
प्रदर्श-01	खाता संख्या 49 जमाबंदी वाके ग्राम बाण्ड तहसील नोखड़ा	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2076-2079 जमाबंदी सम्वत 2078 (वर्ष 2021)
प्रदर्श-02	खाता संख्या 49 राजस्व नक्शा वाके ग्राम बाण्ड तहसील नोखड़ा	सम्वत 2078 (वर्ष 2021)
प्रदर्श-03	खाता संख्या 137 जमाबंदी वाके ग्राम बाण्ड तहसील नोखड़ा	-
प्रदर्श-04	खाता संख्या 136 खतौनी बन्दोबस्त वाके ग्राम बाण्ड तहसील नोखड़ा	खतौनी बन्दोबस्त वाके ग्राम बाण्ड सम्वत 2012-2031
प्रदर्श-05	खसरा गिरदावरी खसरा संख्या 877 / 303 वाके ग्राम बाण्ड	खसरा गिरदावरी सम्वत 2013-2016

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चिफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गए:-

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी. डब्ल्यू.-1	भगवाना पुत्र माना जाति विश्नोई	लाला की बेरी, तहसील नोखड़ा

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने दौराने जिरह वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।
5. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण दो प्रमुख अनुतोष चाहे गए हैं। वादीगण का प्रथम अनुतोष वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम प्रथम अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:—

183. Ejection of certain trespasser—

(1) *Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejection, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.*

(2) *In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।
7. प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने हेतु प्रदर्श संख्या-01 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। प्रदर्श संख्या-02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी की पृथक से राजस्व नक्शे में तरमीम की हुई है। प्रदर्श संख्या-03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि

उक्त आराजी वादीगण को खातेदार कोजा वल्द किस्तुरा की विरासत में प्राप्त हुई है। प्रदर्श संख्या—04 व 05 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी वादीगण के पूर्वज कोजा वल्द किस्तुरा कौम विश्नोंई की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी रही है। इसी प्रकार गवाह पी. डब्ल्यू.—1 के बयानों से ज्ञात होता है कि उक्त आराजी वादीगण द्वारा अपने जानकार प्रतिवादीगण को खेती करने हेतु अस्थाई रूप से दी गई थी। हालांकि इस हेतु वादीगण द्वारा कोई दस्तावेजीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा इस तथ्य का कोई खण्डन पत्रावली पर नहीं है। इस कारण वादी के द्वारा दिये गये साक्ष्य व बयान ही आधार हैं।

8. प्रकरण में प्रदर्श संख्या—01 लगायत 05 तथा पी. डब्ल्यू.—1 के बयानों के अवलोकन से अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड में अवस्थित है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही न्यायालय को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जा करार दिया जाता है।
9. साथ ही प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानते हुए प्रतिवादीगण को उक्त कब्जेशुदा आराजी का खातेदार मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:—

(44) "Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

10. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में प्रथम अनुतोष स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर किए गए कब्जे को हटाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होता है।
11. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम द्वितीय अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

12. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

13. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।
14. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-1 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैं:-

स्वामित्व एवं कब्जा	प्रकरण में प्रदर्श संख्या-01 लगायत 05 के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 वाके ग्राम बाण्ड तहसील नोखड़ा आपस में सेड़े-सेढ़ अवस्थित है। आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2076-2079 जमाबंदी सम्वत 2078 (वर्ष 2021) वाके ग्राम बाण्ड तहसील नोखड़ा के खाता संख्या 49 के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर वादी का स्वामित्व अविवादित है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का ही आराजी पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है।
सुविधा का संतुलन	मुतनाजा आराजी पर वादी की खातेदारी आराजी होने तथा वादीगण का कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी वादी के पक्ष में होना स्पष्ट है।
अपूरणीय क्षति	वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेख किया है कि उक्त मुतनाजा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी संतुष्ट होती है।

15. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 / 303 / 1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध

	नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	<p>खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण की आराजी पर पूर्व में हुए अवैध कब्जे से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव नहीं है। क्योंकि वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किए गए अवैध कब्जे से वादीगण को कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान होते हैं। वादीगण को अपनी खातेदारी आराजी पर किसी अन्य व्यक्ति के अवैध अतिक्रमण से होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान नुकसान के आंकलन हेतु कोई स्पष्ट मानक/मापदंड निर्धारित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>2. साथ ही अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को अनवरत रखने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव नहीं होकर न्यायसंगत होना प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोक जाना आवश्यक प्रतीत होता है।</p>
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	<p>1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण की आराजी पर पूर्व में हुए अवैध कब्जे से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है।</p> <p>2. साथ ही अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को</p>
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि	

	अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को अनवरत रखने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। वादीगण द्वारा इस हेतु बेदखली का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

16. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है0 वाके ग्राम बाण्ड पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु

चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/303/1.6430 है। वाके ग्राम बाण्ड पर प्रतिवादीगण का कब्जा अवैध होने तथा प्रतिवादीगण का अतिक्रमी घोषित होने के आधार पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द किए जाने बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाता है। साथ ही उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत न करने के साथ ही प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 09.09.2024 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर